WEEKLY FOCUS
#88
JAN 2023

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

संवैधानिक लोकाचार:

सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए लोकतंत्र

परिचय

> **"न्याय में देरी, अन्याय है।"**
>
> डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

भारतीय संविधान का उद्देश्य **हमारे समाज और शासन व्यवस्था (गवर्नेंस)** में एक **नैतिक आचार संहिता** का निर्माण करना है। इस संदर्भ में, भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय** उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। न्याय एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, जो हमारे निर्णयों को एक उचित दिशा प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह सही और गलत के संबंध में हमारे निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। न्याय, **व्यक्ति की गरिमा** को बढ़ाता है और एक **न्यायसंगत समाज** का **निर्माण करके लोकतंत्र** को मजबूत बनाता है।

भारत के लिए, न्याय एक दायित्व तो है ही किंतु साथ ही, प्रचलित **सामाजिक–आर्थिक असमानताओं** के कारण यह एक चुनौती भी बन गया है। गौरतलब है कि **सामाजिक पदानुक्रम** तथा **संसाधनों तक असमान पंहुच** ने इन असमानताओं को बढ़ाया है और न्याय की संकल्पना को बाधित किया है। **संविधान में वर्णित तीन प्रकार के न्याय,** एक–दूसरे से परस्पर संबंधित होने के कारण भारतीय संवैधानिक लोकाचार का हिस्सा बन गए हैं। हालांकि, यह सच है कि भारत ने आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु समाज में न्याय के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

इस संदर्भ में हम **लोकतंत्र और सामजिक तथा आर्थिक कल्याण के सिद्धांत पर चर्चा** करेंगे। प्रत्येक सिद्धांत एक मूल विचार के साथ शुरू होता है। उसके बाद उस विचार के निहित उद्देश्यों की विवेचना की जाती है। इस संदर्भ में, हम–

- **लोकतंत्र तथा सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण** के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे।
- यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सिद्धांत गवर्नेंस और कार्यान्वयन के मामलों में कार्यकारी तथा विधायी कार्रवाई का आधार बनते हैं।
- इन सिद्धांतों के महत्व एवं इनसे जुड़ी चिंताओं पर चर्चा करेंगे।
- इसके आधार पर, हम इन चिंताओं के समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। दूसरे शब्दों में, हम इस प्रश्न को ध्यान में रखकर चर्चा करेंगे कि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु हमें किस तरह का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

सिद्धांत I: लोकतंत्र के मूल सिद्धांत

- लोकतंत्र (Democracy) शब्द को ग्रीक शब्द **"डेमोस (demos)"** और **"क्रेटोस (kratos)"** से लिया गया है। यहां डेमोस से आशय **"जनता / लोगों"** से है एवं क्रेटोस का तात्पर्य "शक्ति" से है। यही कारण है कि लोकतंत्र को "लोगों की शक्ति" के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र शासन करने का एक तरीका है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं शासन करती है। हालांकि यह शक्ति लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताओं की उपस्थिति पर निर्भर करती है:
  - **विधि का शासन;**
  - **अधिकारों का सम्मान;**
  - **एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य;**
  - **स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव; और**
  - **निर्वाचित नेताओं द्वारा प्रमुख निर्णय लिया जाना।**

- वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में **लोकतांत्रिक सरकार (राजनीतिक व्यवस्था) के कई अलग–अलग मॉडल** मौजूद हैं।
- यद्यपि किन्हीं भी दो प्रणालियों के मध्य समानता मौजूद नहीं हैं, तथापि कुछ सामान्य विशेषताएं मौजूद हैं जिनके माध्यम से लोकतंत्र की उपस्थिति को मापा जा सकता है (चित्र देखें)।

लोकतंत्र लोकप्रिय नियंत्रण एवं राजनीतिक समानता		
प्रतिनिधि सरकार	निष्पक्ष चुनाव समावेशी मताधिकार	स्वतंत्र राजनीतिक दल निर्वाचित सरकार
मौलिक अधिकार	न्याय तक पहुंच नागरिक स्वतंत्रताएं	सामाजिक अधिकार और समानता
सरकार पर नियंत्रण	निष्पक्ष मीडिया न्यायिक स्वतंत्रता	प्रभावी संसद
निष्पक्ष प्रशासन	उचित तरीके से कानूनों को लागू करना भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति	
सहभागितापूर्ण कार्य–प्रणाली	स्थानीय लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र	चुनावी भागीदारी नागरिक समाज की भागीदारी

भारत में लोकतंत्र और इसके उद्देश्य

- भारतीय लोकतंत्र को **"लोकतंत्र की जननी"** के रूप में जाना जाता है। भारत में लोगों द्वारा राजा को निर्वाचित करने और सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। भारतीय संविधान में एक ऐसी **राजनीतिक व्यवस्था** की परिकल्पना की गई है, जहां **राष्ट्रपति, सरकार का प्रमुख** होता है और प्रधान मंत्री **कार्यपालिका** का प्रमुख होता है।

  लोकतंत्र में **कानून, जन प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाते हैं।** इन प्रतिनिधियों को चुनाव (प्रतिनिधि लोकतंत्र) के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है। भारतीय लोकतंत्र अत्यधिक गरीबी, निरक्षरता जैसी कठिन परिस्थितियों तथा जाति, धर्म और भाषा में विभाजित समाज के बीच विकसित हुआ है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:
- **नागरिक केंद्रित शासन** की स्थापना, जो हर वर्ग का ख्याल रखता हो, विशेष रूप से समाज के कमज़ोर समूहों का।
- संघ बनाने की क्षमता प्रदान करने वाले किसी भी प्रकार के विचार और विचारधारा **को राजनीतिक प्रतिनिधित्व** प्रदान करना।
- राजनीतिक न्याय को सक्षम बनाने के लिए शासन में **जनता की भागीदारी** सुनिश्चित करना।
- कानून के समक्ष **सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करना।**

भारत में इन उद्देश्यों का कार्यान्वयन

- **राजनीतिक संस्थाएं:** भारत में कई **राष्ट्रीय** और **राज्य स्तरीय राजनीतिक दल मौजूद हैं।** ये दल किसी लोकतंत्र में **सबसे अधिक सक्रिय दिखाई देने वाली राजनीतिक संस्थाएं हैं।**

- एक **राजनीतिक दल** "उन लोगों का एक समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं।"
- वे **जनता की राय को दिशा** प्रदान करते हैं और चुनावों में भाग लेकर शासन हेतु **नागरिकों को एक विकल्प प्रदान करते हैं।**
- निर्वाचित दल (पार्टियां) समाज की भलाई के लिए नीतियों और कानूनों को लागू करके अपने अधिदेश (सौंपी गई जिम्मेदारी) को पूरा करते हैं, जबकि अन्य दल, निर्वाचित दलों को जवाबदेह बनाए रखने हेतु विपक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

- **निर्वाचन से संबंधित संस्थानः अनुच्छेद 324** के अनुसार, **भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI)** भारत में संघ और राज्य की चुनावी प्रक्रिया को **स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न** कराने हेतु एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अनुसार–

> **"शुचितापूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए सबसे आवश्यक उपाय यह था कि निर्वाचन संबंधी मामले को सरकार के हाथों से लेकर एक स्वतंत्र प्राधिकरण को सौंप दिया गया।"**

- आजादी के बाद से, ECI ने अब तक **17 राष्ट्रीय** और लगभग **390 राज्य चुनावों** को संपन्न कराया है। साथ ही, यह लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए **मतदाता शिक्षा से जुड़ी पहलों** का भी संचालन करता है।
- **अनुच्छेद 326** के तहत **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** का उपबंध किया गया है। अठारह साल से कम उम्र के व्यक्तियों तथा किसी अन्य कानून के तहत मताधिकार के लिए अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को छोड़कर सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। उदाहरण के लिए– **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 62 (5)** कैदियों को उनके मतदान अधिकार से वंचित करती है।

- **राजनीतिक संस्थानों और चुनावी प्रक्रिया के लिए विनियामकीय ढांचाः**
  - अनुच्छेद 102 और 191 के अंतर्गत विभिन्न आधारों पर **विधायकों और सांसदों की अयोग्यता (निरर्हता)** के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के लिए– **RPA, 1951 की धारा 8** के तहत कुछ अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।
  - संविधान की **दसवीं अनुसूची में दल–बदल रोधी कानून** का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य अनावश्यक राजनीतिक दल–बदल को रोकना और संसद सदस्यों को उनके दलों के प्रति उत्तरदायी बनाना है। साथ ही, ये कानून राजनीतिक स्थिरता को भी बनाए रखने में मदद करते हैं।
  - **अनुच्छेद 329 के तहत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित** किया गया है। **के. वेंकटचलम बनाम ए. स्वामीकन वाद (1999) में सुप्रीम कोर्ट** द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि **अनुच्छेद 329 (b)** के तहत आरोपित प्रतिबंध उस समय लागू नहीं होता जब संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई हो। साथ ही, यह प्रतिबंध संविधान के **अनुच्छेद 191** और **193** के मामलों पर भी लागू नहीं होता है।
  - इसके अतिरिक्त **उपर्युक्त में से कोई नहीं (NOTA), इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) के साथ मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)** के उपयोग जैसे अन्य चुनावी सुधारों ने लोकतंत्र को और मजबूत किया है।

लोग

यह अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता जैसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रति सम्मान को बनाए रखने में मदद करता है।

प्रतिनिधि

यह राजनीतिक दलों और संगठनों की बहुलतावादी प्रणाली के माध्यम से प्रतिनिधियों को संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

चुनाव

यह सार्वभौमिक मताधिकार और गुप्त मतदान के माध्यम से समय–समय पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने में मदद करता है।

लोकतंत्र का महत्त्व

गवर्नेंस

राजनीतिक संबद्धता के बावजूद यह कानून के समक्ष और राज्य की सेवाओं में सभी नागरिकों के लिए समानता पर जोर देता है।

राजनीति

यह विधि के शासन के अनुसार सत्ता तक पहुंच प्राप्त करने, इसका प्रयोग करने और सत्ता के हस्तांतरण में मदद करता है।

शक्ति

यह शक्तियों के पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहयोग करता है।

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित चिंताएं

भारत की **विशाल आबादी** और इसकी **सामासिक संस्कृति** भारत को **दुनिया के सबसे बड़े** तथा सबसे **गतिशील लोकतंत्र** वाले देश के रूप में स्थापित करती है। हालांकि, **खराब प्रशासन, गरीबी, भ्रष्टाचार, असमानता, सामाजिक एकता की कमी और हिंसक संघर्षों** के दुष्चक्र के कारण अब भी भारतीय लोकतंत्र में कुछ कमियां विद्यमान हैं। ये कमियां हमारे लोकतंत्र को कमजोर करती हैं और उन चिंताओं को जन्म देती हैं जो लोकतंत्र के लिए घातक हैं (चित्र देखें)।

चिंताएं

ध्रुवीकरण

राजनीतिक विचारधाराओं में बंट जाना तथा जाति, धर्म और क्षेत्र आदि के आधार पर मतदान करना।

सोशल मीडिया का प्रयोग

राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग की निगरानी और नियमन के लिए ECI के पास कोई संसाधन उपलब्ध न होना।

फ्री राइडर्स या क्लोन

एक ही निर्वाचन क्षेत्र से समान नाम वाले लोगों द्वारा चुनाव लड़ना।

चुनावों की बढ़ती लागत

2019 का लोक सभा चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनावों में से एक था।

राजनीति का अपराधीकरण

2019 के चुनाव में 43% निर्वाचित सांसदों का कोई न कोई आपराधिक रिकॉर्ड था।

भ्रष्टाचार

सार्वजनिक धन, सरकारी मशीनरी आदि का दुरुपयोग किया जाना। राजनीतिक दलों का RTI के दायरे से बाहर होना।

महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व

24.6% के वैश्विक औसत के मुकाबले 2019 की लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 14.39% था।

राजनीतिक दल–बदल

दल–बदल रोधी कानून के चलते अयोग्य होने से बचने के लिए किसी पार्टी के अधिकतम (दो तिहाई से अधिक) सदस्यों द्वारा दल बदलने की घटना में वृद्धि।

आंतरिक लोकतंत्र का अभाव

राजनीतिक दलों के भीतर या तो चुनाव अनियमित हैं या कोई आंतरिक चुनाव नहीं होता है।

कम मतदान प्रतिशत

2019 के लोक सभा चुनाव में केवल 67% मतदान हुआ था, हालांकि यह पिछले लोक सभा चुनावों की तुलना में रिकॉर्ड सर्वाधिक मतदान था।

अतीत में भी भारतीय राजनीति को साफ–सुथरा बनाने और लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु अनेक कदम उठाए जा चुके हैं, जैसे–

- "राजनीति के अपराधीकरण" पर **एन. एन. वोहरा समिति (1993),**
- राज्य वित्त पोषित चुनावों के संबंध में **इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998),**
- राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए **इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम (2018)** के तहत **चुनावी बॉण्ड** की शुरुआत आदि।

हालांकि, **समिति की सिफारिशों** को व्यापक तौर पर अब तक लागू नहीं किया गया है या फिर अपनाए गए उपायों के तहत प्रभावी परिणामों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए– **राजनीतिक दलों का वित्त–पोषण** अब भी जनता के लिए अपारदर्शी बना हुआ है क्योंकि चुनावी बॉण्ड पर दानकर्ता का नाम दर्ज नहीं होता है। यह स्थिति, निम्नलिखित तरीकों से मुद्दों को और गंभीर बना देती है:

- यह लोकतांत्रिक संस्थानों में **लोगों के विश्वास** को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। साथ ही, **आधिकारिक भ्रष्टाचार** और मंद जांच प्रक्रिया से जुड़े **आरोप भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा** को और नुकसान पहुंचाते हैं।
- यह भारत के प्रति **विदेशियों के भरोसे** और उनके द्वारा किए जाने वाले **निवेश** में कमी लाती है। साथ ही, यह अन्य बुराइयों को भी जन्म देती है, जैसे– **मंद आर्थिक विकास;** सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए **संसाधनों की उपलब्धता को कम करना; सामाजिक विभाजन को बढ़ाना** आदि।
- भारत के कुछ हिस्सों में जारी **हिंसक संघर्ष** (आतंकवाद सहित) अब भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है।
- हाल के दिनों में, जलवायु परिवर्तन जैसी **पर्यावरणीय चुनौतियों, युवाओं में बेरोजगारी,** प्रवासन (जैसे– रोहिंग्या मुद्दा) आदि ने नई चिंताओं को जन्म दिया है। इनसे निपटने के लिए **लोकतांत्रिक लचीलापन** बढ़ाने के अलावा अन्य प्रयासों की आवश्यकता है।

> "परिवर्तन, चुनौतियों और इनसे संबद्ध संकट की स्थिति में लोकतांत्रिक आदर्शों, संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं के बने रहने एवं समृद्ध होते रहने की क्षमता को **लोकतांत्रिक लचीलापन (Democratic Resilience)** कहा जाता है।"

लोकतांत्रिक लचीलापन: आगे की राह

शांतिपूर्ण और समावेशी समाज (SDG-16) के निर्माण हेतु लोकतंत्र की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। यह संघर्षों के प्रबंधन का एक अहिंसक रूप है जो **लोगों के बीच सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व** को बनाए रखने में मदद करता है। अतः ऐसे में हमें अपने **लोकतंत्र को और अधिक लचीला एवं समावेशी बनाने** के लिए कई उपायों को अपनाना चाहिए, जैसे–

- **निम्नलिखित के जरिए पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा स्थापित करना:**
  - **राजनीतिक सुधार,** जैसे– राजनीतिक दलों को अपनी फंडिंग और सदस्यों की जानकारी के **रिकॉर्ड का उचित रख–रखाव** करना चाहिए। साथ ही, इन दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाया जाना चाहिए। दलों के आंतरिक लोकतंत्र के लिए **दल के स्वयं के विधान को लागू** किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए– पार्टी में सर्वोच्च पदों के लिए **नियमित चुनाव।**
  - लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए **सुशासन को बढ़ावा दिया** जाना चाहिए।
  - व्यक्तिगत हितों को दरकिनार कर **निष्पक्ष निर्णय लिया** जाना चाहिए।

- नागरिकों और अन्य लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए **भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित** किया जाना चाहिए।
- धन बल के प्रभाव को दूर करने के लिए **राज्य वित्त–पोषण (वस्तु या नकद) को अपनाया** जाना चाहिए।
- चुनावों के संचालन और आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता में वृद्धि करते हुए **ECI की क्षमता में वृद्धि** की जानी चाहिए।

- **निम्नलिखित के जरिए समावेशिता को बढ़ाना:**
  - **महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण** किया जाना चाहिए अर्थात् विधायिका या दल के स्तर पर टिकट वितरण में सीटों को आरक्षित किया जाना चाहिए।
  - सामाजिक एकता के लिए **अल्पसंख्यकों और हाशिए पर स्थित वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित** किया जाना चाहिए।
- **निम्नलिखित के जरिए जवाबदेही को बढ़ाना:**
  - **सिद्धांत आधारित राजनीति को प्रोत्साहित** किया जाना चाहिए, ताकि राजनीतिक लाभ के लिए अनैतिक साधनों के उपयोग को रोका जा सके।
  - **संस्थागत लचीलेपन हेतु प्रयास** किया जाना चाहिए। यह उन्हें भ्रष्ट प्रभावों से बचाने में मदद कर सकता है।
  - भारतीय लोकतंत्र के **चौथे स्तंभ** के रूप में **मुक्त, स्वतंत्र और बहुलतावादी मीडिया** को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।
- **निम्नलिखित के जरिए नागरिकों की भागीदारी में सुधार करना:**
  - सामाजिक रूप से विभाजित लोगों को संगठित करने के लिए **मजबूत नागरिक समाज** की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
  - **युवाओं की अधिक राजनीतिक भागीदारी और पर्यवेक्षण के लिए उनको राजनीतिक रूप से शिक्षित** किया जाना चाहिए।
  - लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए **नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग** (उदाहरण के लिए– जनमत सर्वेक्षण के लिए) किया जाना चाहिए।
- **निम्नलिखित के जरिए सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ाना:**
  - व्यक्तिगत और सामाजिक समूहों के स्तर पर होने वाले सामाजिक बहिष्कार तथा आर्थिक असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। इसमें कर नीतियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, सशर्त नकद हस्तांतरण आदि शामिल हैं। **जॉन रॉल्स** के शब्दों में–

> **"किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए भले ही ठीक लगे, लेकिन यह न्यायपूर्ण तो बिलकुल नहीं होगा कि कुछ के पास केवल इसलिए कम होना चाहिए ताकि दूसरे समृद्ध हो सकें।"**

सिद्धांत II: सामाजिक और आर्थिक कल्याण

- सामाजिक और आर्थिक कल्याण का सिद्धांत **आयरलैंड के संविधान** से लिया गया है। इसे **संविधान के भाग IV** (अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक) में **राज्य के नीति–निदेशक सिद्धांतों (DPSPs)** के रूप में शामिल किया गया है।
  - **डॉ बी. आर. अम्बेडकर** ने इन्हें **"साधारण निर्देश, अनुदेश या मार्गदर्शक सिद्धांतों"** के रूप में वर्णित किया है।
- **अनुच्छेद 37**: यह अनुच्छेद उक्त सिद्धांतों को **शासन के मौलिक सिद्धांतों** के रूप में निर्दिष्ट करता है। कानूनों के निर्माण के दौरान इन सिद्धांतों को लागू करने का दायित्व राज्य पर होगा।
- **अनुच्छेद 38**: इस अनुच्छेद के तहत राज्य **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय** पर आधारित एक **सामाजिक व्यवस्था** को स्थापित करेगा तथा उसे सुरक्षित एवं **संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा** देने का प्रयास करेगा।
- समग्र रूप से, DPSPs केंद्र और राज्य के **नीतिगत उपायों** तथा **कानूनों** को लोगों, उनकी संस्कृति एवं उनके **सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण** के साथ एकीकृत करते हैं।

राजनीतिक न्याय

इसका तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जो राजनीतिक निरंकुशता से मुक्त हो अर्थात् सरकार की कार्य–प्रणाली राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष होनी चाहिए।

सामाजिक न्याय

इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ नस्ल, लिंग या जाति के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सभी व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत विकास के लिए समान सामाजिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

आर्थिक न्याय

इसका अर्थ यह है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक अवसरों के संदर्भ में सभी के लिए आर्थिक समानता को बनाए रखा जाना चाहिए और अक्षमताओं को उत्पन्न करने वाली असमानता को दूर किया जाना चाहिए।

भारत में DPSPs के व्यापक उद्देश्य और उनका क्रियान्वयन

एक **आधुनिक, प्रगतिशील** और **कल्याणकारी राज्य** की स्थापना के लिए, DPSPs के तहत **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों** पर केंद्रित एक विस्तृत सूची को शामिल किया गया है। **DPSPs का मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य तथा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना** करना है। साथ ही, DPSPs राज्य को पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जैसे मामलों पर **नैतिक दिशा–निर्देश** भी प्रदान करते हैं।

अब तक निर्मित कई कानूनों में **DPSPs का क्रियान्वयन** किया गया है। संविधान में उल्लिखित अनुच्छेदों से लेकर केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा अधिनियमित कानूनों के रूप में इनका क्रियान्वयन देखा जा सकता है।

- DPSPs में लोकप्रिय **समाजवादी और पश्चिमी उदारवादी** विचारों के साथ–साथ **गांधीवादी दर्शन** का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है (चित्र देखें)।

DPSPs का वर्गीकरण

गांधीवादी सिद्धांत	कुछ DPSPs को गांधी जी के दर्शन और विचारों से प्रेरित होकर शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए– सर्वोदय (अनुच्छेद 46), ग्राम स्वराज (अनुच्छेद 40) आदि।
समाजवादी सिद्धांत	कुछ DPSPs समाजवादी विचारों पर केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए– संसाधनों का समान वितरण (अनुच्छेद 38)। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रण होने से रोकना (अनुच्छेद 39), काम और शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 41), आदि।
पश्चिमी–उदारवादी सिद्धांत	कुछ DPSPs उदारवादी विचारों से प्रेरित हैं, उदाहरण के लिए– समानता पर आधारित पश्चिमी विचार (अनुच्छेद 39A), समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44), विज्ञान को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 48) आदि।

- इसके अलावा कुछ **परंपरागत आदर्शों** को भी इसमें शामिल किया गया है जैसे कि **गोवध पर प्रतिबंध लगाना और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना (वसुधैव कुटुम्बकम)।**

- समग्र रूप से ये **कल्याणकारी राज्य** की स्थापना के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं अर्थात् ये **सामाजिक और आर्थिक कल्याण** के लिए कार्य करते हैं।
- **उपलब्ध संसाधनों और नेतृत्वकर्ताओं की राजनीतिक इच्छाशक्ति** के आधार पर, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के कई सिद्धांतों को भी लागू किया गया है, जैसे–

सामाजिक और आर्थिक कल्याण के उपाय	• **अनुच्छेद 39A के तहत समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता।**
	  ○ **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987):** इसका उद्देश्य एक ऐसे राष्ट्रव्यापी यूनिफॉर्म नेटवर्क की स्थापना करना है, जो समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता हो।
	• **अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43B के तहत कुटीर उद्योगों और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।**
	  ○ सहकारी आंदोलन को मजबूत करने तथा एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए एक समर्पित **सहकारिता मंत्रालय** का गठन किया गया है।
	• **अनुच्छेद 46** के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के **शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।** इसके तहत अग्रलिखित प्रावधान किए गए हैं:
	  ○ मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिक पूर्व और पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति; **आदिवासियों** के वन अधिकारों को मान्यता; अनुसूचित जाति और **अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 आदि।**
	• अनुच्छेद 42 के तहत **कार्य के लिए न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियां सुनिश्चित** करने संबंधी तथा **अनुच्छेद 43** के तहत **निर्वाह योग्य मज़दूरी** का प्रावधान किया गया है। इस हेतु किए गए विधिक प्रयासों में शामिल हैं:
	  ○ **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946; कारखाना अधिनियम, 1948; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 आदि।**
	• **अनुच्छेद 45 के तहत छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान।**

	◦ **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education: ECCE)** के सार्वभौमीकरण पर जोर देती है। इसके अलावा, 2030 के लक्ष्य के साथ यह सुनिश्चित करती है कि ग्रेड 1 में प्रवेश करने वाले सभी छात्र स्कूली शिक्षा शुरू करने के लिए तैयार हों। • **अनुच्छेद 47** के तहत **लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बेहतर करना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना।** इस हेतु किए गए विधिक प्रयासों में शामिल हैं: ◦ **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013; राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017; आयुष्मान भारत (राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना) आदि।** • **अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना।** इस हेतु किए गए विधिक प्रयासों में शामिल हैं: ◦ **कृषि विज्ञान केंद्र; कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (Agriculture Technology Management Agency: ATMA) योजना; मृदा स्वास्थ्य कार्ड; मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना आदि** के नेटवर्क का निर्माण करना।

सामाजिक और आर्थिक कल्याण के विचार का महत्त्व

- यह विधायिका और कार्यपालिका के लिए सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों का एक सेट निर्धारित करता है। इन लक्ष्यों के माध्यम से यह **समतामूलक समाज तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना में मदद करता है।**
  - यह श्रेष्ठता और हीनता के आधार पर समाज के भीतर मौजूद विशिष्टता (Exclusiveness) संबंधी बाधाओं को दूर करता है। इन बाधाओं को दूर कर यह **सहभागी न्याय (Participative Justice)** तथा **वितरणमूलक न्याय (Distributive Justice)** की प्राप्ति में मदद करता है।
- यह आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की प्राप्ति हेतु राज्य पर नैतिक दायित्व आरोपित करता है।
  - इन सिद्धांतों का **शैक्षिक मूल्य होता है तथा ये राजनीतिक रूप से न्यायसंगत भी होते** हैं। यही कारण है कि राज्य कानून और नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों को प्राथमिकता देता है।
- यह मौलिक अधिकारों के दायरे का निर्धारण करके **व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच संतुलन स्थापित** करता है।
- **मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ वाद में,** सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि **सामंजस्यपूर्ण निर्माण** के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि दोनों (मूल अधिकार और DPSP) में से किसी को भी दूसरे पर वरीयता नहीं दी जा सकती है।
- यह सरकार के प्रदर्शन को मापने के लिए एक मानदंड के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार यह एक **कल्याणकारी राज्य और पुलिस राज्य** के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है।
  - **DPSPs कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं,** लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से जनमत (मतदान) द्वारा लागू किए जाते हैं।

सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत (Doctrine of Harmonious Construction)

इसके पीछे का मूलभूत सिद्धांत यह है कि किसी भी कानून का एक विधिक उद्देश्य होता है और इसे समग्र रूप में (अर्थात् उस क़ानून और अन्य कानूनों के सभी खंडों के साथ) देखा जाना चाहिए।

इस सिद्धांत के क्रियान्वयन से जुड़ी चिंताएं

निर्धारित सिद्धांतों और भाग IV की प्रकृति के आधार पर, **सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की प्राप्ति की दिशा में मुख्यतः दो प्रकार की चिंताएं देखी गयी** हैं (चित्र देखें)।
इसके अलावा, **समय—सीमा एवं स्पष्ट विचारधारा का अभाव तथा प्रशासनिक अक्षमताएं भी सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लक्ष्य को बाधित** करती हैं। उदाहरण के लिए— एक लंबे समय के बाद 2002 में जाकर 6—14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए **शिक्षा के अधिकार** को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी।
उच्च बेरोजगारी, असमानताएं (जैसे— घरेलू कार्यों या अवैतनिक कार्यों में महिलाओं की उच्च भागीदारी), **शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी अंतराल** आदि के कारण सामाजिक व आर्थिक कल्याण की प्राप्ति की दिशा में अब भी कई कदम उठाए नहीं जा सके हैं। इसके लिए राज्य की **वित्तीय सीमाएं एवं प्रशासनिक अक्षमता** उत्तरदायी रही हैं।

DPSPs की प्रकृति से संबंधित चिंताएं

- कानूनी शक्ति के अभाव के कारण ये मात्र निर्देश बनकर रह गए हैं। शासन के लिए मौलिक होने के बावजूद भी इन्हें राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं बनाया गया है।
- यह कल्याणकारी राज्य के अधीन लोकलुभावनवाद को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए— कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर मुफ्त उपहारों (Freebies) को बढ़ावा देना या वस्तुओं का मुफ्त वितरण करना।
- यह अलग—अलग दर्शनों के आधार पर तैयार किया गया एक जटिल संकलन है, जिसका कोई तार्किक निष्कर्ष नहीं दिखता है।
- यह केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक संघर्ष पैदा करता है।

व्यक्तिगत सिद्धांतों से संबंधित चिंताएं

- निर्वाह योग्य मजदूरी (अनुच्छेद 43) और श्रमिकों से संबंधित कुछ निर्देशक सिद्धांतों के चलते न्यायिक तंत्र को पूरी शक्ति नहीं मिल पाई है। कई बार यह भी कहा जाता है कि इनके चलते अस्थायी, गिग तथा प्लेटफॉर्म कर्मियों की संख्या बढ़ी है।
- समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता (अनुच्छेद 39A) न्याय की गुणवत्ता से जुड़ी चिंताओं को उजागर करती है। उदाहरण के लिए— मामलों के शीघ्र निपटान हेतु लोक अदालतों का उपयोग गुणवत्ता से जुड़ी चिंताओं को प्रकट करता है।
- मादक पेय पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 47) की स्वीकार्यता नागरिकों और संस्कृतियों से संबंधित नैतिकता पर निर्भर करती है।
- समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) को धर्म की स्वतंत्रता से वंचित करने वाले एक उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। इसका कारण यह है कि इससे तलाक, विवाह, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों के संहिताकरण को बढ़ावा मिलेगा।

सामाजिक और आर्थिक कल्याण के विचार को मूर्त रूप देने हेतु आगे की राह

सामाजिक—आर्थिक कल्याण का विचार अत्यंत व्यापक है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है। अतः इन विचारों को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जाने आवश्यक हैं—

- **आजीविका पैदा करना:** जिस तरह आजीविका समर्थन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा को संचालित किया जा रहा है, उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर शहरी क्षेत्रों में वंचित लोगों के लिए भी आजीविका समर्थन उपायों की पहचान की जानी चाहिए।
- **लोकलुभावनवाद पर रोक लगाना: मुफ्त उपहारों को परिभाषित** किया जाना चाहिए। साथ ही, राजनीतिक दलों को उनके उद्देश्यों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए पर्याप्त उपाय भी किए जाने चाहिए।
- **आर्थिक न्याय की दिशा में प्रयास करना:** सामाजिक और आर्थिक कल्याण में **निजी क्षेत्रक की भूमिका को स्पष्ट** किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए– महिलाओं और पुरुषों को कार्यस्थल पर समान अवसर प्रदान करने; औपचारीकरण; निर्वाह योग्य मजदूरी आदि मामलों में निजी क्षेत्रक की भूमिका को स्पष्ट करना।
  - प्रगतिशील और खुली अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रयास करते समय **आर्थिक नीतियों** के तहत लोगों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान की जानी चाहिए।
- **अनुकूलित न्यायिक प्रणाली: एक ऐसी प्रणाली को डिजाइन** करने की आवश्यकता है, जो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष परिणामों से समझौता किए बिना मामलों के त्वरित निपटान पर केंद्रित हो।
- **जागरूक नागरिक समाज:** लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य द्वारा निर्मित कानूनों और नीतियों को अपनी इच्छा से स्वीकार करें। इसके लिए आवश्यक है कि लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण से संबंधित सिद्धांतों के बारे में **शिक्षित करने का प्रयास** किया जाए।
  - यह कदम अधिक परस्पर विरोधी सिद्धांतों के साथ–साथ समान नागरिक संहिता जैसे विषयों के संबंध में भी एक साझा निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद कर सकता है।
- **लोक–कल्याण में सुधार:** बेहतर अवसंरचना और सुगम पहुंच के माध्यम से **शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत** करने की आवश्यकता है, ताकि अनुकूल परिणाम प्राप्त किए जा सकें।
- **एक अविभाज्य इकाई के रूप में राज्य:** राज्य को ऐसे उपाय अपनाने चाहिए, जो संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करते हों तथा **सहकारी संघवाद की भावना को प्रोत्साहित** करते हों। इसके अलावा, राज्य को प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने की दिशा में भी लगातार प्रयास करने चाहिए। हालांकि, यह तभी संभव है जब केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर नागरिकों के कल्याण के लिए सकारात्मक तरीके से प्रयास करें।

निष्कर्ष

एक मजबूत और सतत लोकतंत्र का निर्माण, एक अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था तथा समाज पर निर्भर करता है। संविधान में इन दोनों के लिए ढांचागत उपबंध किए गए हैं। विधायिका और कार्यपालिका को आवश्यकता के अनुरूप इस दिशा में प्रयास करने चाहिए तथा उन्हें कानूनों और अभिशासन के रूप में लागू करना चाहिए। इसके अलावा, संवैधानिक लोकाचार के लिए अधिक सहभागी और प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक संस्थानों के माध्यम से लोगों, विशेष रूप से युवाओं को शामिल करना चाहिए।

टॉपिक– एक नज़र में

संवैधानिक लोकाचार: सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए लोकतंत्र

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एक सार्वभामिक सिद्धांत है। भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

सरकार का लोकतांत्रिक रूप और DPSPs न्याय एवं अलग–अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ढांचा प्रदान करते हैं।

हालांकि, **सामाजिक–आर्थिक असमानताओं के कारण न्याय की प्राप्ति एक चुनौती** बन गई है। गौरतलब है कि सामाजिक पदानुक्रम और संसाधनों तक असमान पहुंच ने इन असमानताओं को बढाया है।

सामाजिक–आर्थिक न्याय की प्राप्ति हेतु ढांचा

- **कई राजनीतिक दलों** की उपस्थिति तथा उन्हें विनियमित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग।
- **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** के साथ ECI के अधीन चुनाव प्रणाली और **चुनावी प्रक्रिया** में किये गए कई सुधार।
- सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए **कानून तथा नीतियां**। उदाहरण के लिए– **सहकारी समितियों, स्वास्थ्य और शिक्षा** के लिए उपाय।
- लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए **विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग**।

इस ढांचे में निहित विचारों का महत्त्व

- **ये लोगों के अधिकारों की रक्षा** करते हैं जैसा कि संविधान में उपबंधित किया गया है।
- एक **प्रतिनिधि सरकार** का गठन।
- **न्यायसंगत समाज** की स्थापना के लिए **कल्याणकारी राज्य** के साथ **विधि का शासन**।
- **शक्ति का पृथक्करण** और एक **स्वतंत्र न्यायपालिका**।
- **सामाजिक** और **आर्थिक कल्याण** की दिशा में प्रयास करने के लिए **राज्य पर नैतिक दायित्व** आरोपित करते हैं।
- **व्यक्तिवाद** और **समाजवाद** के बीच **संतुलन स्थापित करते हैं**।

क्रियान्वयन से संबंधित चिंताए

- आंतरिक लोकतंत्र की कमी के साथ–साथ **राजनीतिक दलों की अपारदर्शी** कार्य–प्रणाली।
- शासन में **भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी** आदि मुद्दे।
- **सामाजिक ध्रुवीकरण, प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग, हिंसा** आदि की समस्याएं।
- समय–सीमा के अभाव, गैर–न्यायसंगतता आदि के कारण सामाजिक और आर्थिक कल्याण प्राप्त करने में सीमित सफलता।
- संवैधानिक संघर्ष, सांस्कृतिक और धार्मिक तनाव आदि के लिए **आधार तैयार करता है**।
- बेरोजगारी, लोकलुभावनवाद, कार्यबल के अनौपचारीकरण जैसी नई **चुनौतियों का उभरना**।

न्याय के लिए आगे की राह

- **लोकतांत्रिक लचीलापन बढ़ाना:**
  - राजनीतिक दलों और सरकार में पारदर्शिता एवं **सत्यनिष्ठा की संस्कृति** का निर्माण करना।
  - **समावेशीकरण सुनिश्चित करने और नागरिकों से जुड़ाव** में सुधार करने के उपाय करना।
  - **सामाजिक और आर्थिक समावेशन** के लिए कदम उठाना तथा **सरकार को जवाबदेह** बनाना।
- **सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए कदम:**
  - वर्तमान संदर्भों के आधार पर **स्थितियों पर विस्तृत मात्रात्मक आकलन**।
  - **आजीविका को बढ़ावा देने के उपाय करना, न्यायिक प्रणाली में सुधार करना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना** आदि।
  - **निजी क्षेत्रक, मीडिया** और **नागरिक समाज की भूमिका** की पहचान करना।

DELHI JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD LUCKNOW CHANDIGARH GUWAHATI RANCHI ALLAHABAD BHOPAL
VISIONIAS INSPIRING INNOVATION